न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/33/2018	11–05–2018	18–06–2019

1– जोमू खां पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल।
2– मौज खां पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल।
3– समसुद्दीन पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल।
4– कल्लू खां पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल।
5– नसरूदीन पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल।
6– फज्जर खां पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल जातियान मेव निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1– सायरा नवासी स्वर्गीय छोटैलाल पत्नि रूकमुद्दीन जाति मेव निवासी ग्राम भनकपुरा तहसील नगर जिला भरतपुर राज0।
2– अजीम नवासा स्वीर्गीय छोटेलाल पुत्र शौकत जाति में निवासी पलाई का बास नौरंगाबाद तहसील व जिला अलवर राज0।
3– सकील नवासा स्वर्गीय छोटेलाल पुत्र शौकत जाति मेव निवासी पलाई का बास नौरंगाबाद तहसील व जिला अलवर राज0 अव्यस्क जर्ये पिता व सरपरस्त शौकत।

–रेस्पाडेन्ट्स

4– श्रीमति निजरी पुत्री स्वर्गीय छोटेलाल पत्नि उमरदीन जाति मेव निवासी ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
5– श्रीमति सुनेबी पुत्री स्वर्गीय छोटेलाल पत्नि रणमल जाति मेव निवासी ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
6– श्रीमति जरीना पुत्री स्वर्गीय छोटेलाल पत्नि मौहम्मद आमीन जाति मेव निवासी बी–15 जी–4 डाबर स्कूल के पास, जालूपुरा जिला जयपुर राज0।

– तरतीबी रैस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 06.07.2017 नामान्तकरण संख्या 572 ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अपीलान्ट
02. श्री विजय सिंह पटेल –वकील असल रैस्पो0
03. श्री उमेश चन्द कौशिक –वकील तरतीबी रैस्पो0

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 06.07.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 572 ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इंतकाल संख्या 572 की नकल निकलवायी गई, तब जानकारी हुई। जिस पर अपील पेश की गयी। तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। जिस हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है। तथ्य इस प्रकार है कि छोटेलाल पुत्र घोसी मेव अपीलांट तथा तरतीबी रैस्पो0 के पिता थे। जिनके निधन के उपरांत निर्णय दिनांक 06.07.2017 को तहसीलदार अलवर द्वारा विरासत इंतकाल संख्या 572 बैजा तौर पर खिलाफ कब्जा पारित किया गया है। असल रैस्पो0 मृतक छोटेलाल की मृतक पुत्री ऐमना के पुत्र व पुत्री

है। ऐमना का देहांत छोटेलाल की मृत्यु से पूर्व ही हो चुका था। ऐसे में असल रैस्पो0 का मृतक छोटेलाल की विरासत में कोई हक नहीं बनता है। असल रैस्पो0 मृतक छोटेलाल के उत्तराधिकार की श्रेणी में नहीं आते है। तहसीलदार अलवर द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व असल रैस्पो0 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही कब्जा व मौका देखा गया। असल रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। विवादित इंतकाल दिनांक 12.06.2017 को दर्ज किया गया। जिसकी मंजूरी के लिये सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को प्रेषित करना चाहिए था। उनके समक्ष प्रस्तुती पर 45 दिवस के अन्दर इंतकाल का निस्तारण नहीं किया जाता है तो तहसीलदार साहब को निर्णय करने का अधिकार हासिल होता है। लेकिन आलोच्य इंतकाल सीधे ही तहसीलदार साहब के पास पेश किया गया तथा एक माह से भी कम अवधि में नामान्तरकरण का निस्तारण कर दिया गया। मृतक छोटेलाल का इंतकाल तरतीबी रैस्पो0 के नाम भी दर्ज व मंजूर हुआ था। लेकिन उनके द्वारा हिस्से की भूमि जिसका इंतकाल संख्या 573 अपीलांट के हक में दर्ज है का राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो गया है। इसलिए वर्तमान में तरतीबी रैस्पो0 का उक्त आराजी में कोई हित निहित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय दिनांक 06.07.2017 इंतकाल संख्या 572 वाके ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर निरस्त फरमाया जावें। मृतक छोटेलाल का विरासत इंतकाल केवल अपीलांटान् के हक में दर्ज व मंजूर फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषक तरतीबी रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में दिनांक 27.02.2018 को प्रा0पत्र व शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया जा चुका है कि अपीलांट की अपील मंजूर की जाकर मृतक छोटेलाल का विरासत इंतकाल केवल अपीलांट संख्या 1 लगा0 6 के नाम दर्ज कर मंजूर किया जावें और असल रैस्पो0 1 लगा0 3 के नाम जो इंतकाल दर्ज व स्वीकार हुआ है। उसे निरस्त किया जावें। तरतीबी रैस्पो0 द्वारा किये गये हकत्याग का इंद्राज जमाबंदी सवत् 2071–74 में किया जा चुका है।

विद्वान अभिभाषक असल रेस्पोडेन्ट्स ने प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है कि असल रैस्पो0 संख्या 1 लगा0 3 अपीलांट की बहन व मृतक छोटेलाल की पुत्री ऐमना के पुत्र व पुत्री है। हमारी माता ऐमना का देहांत छोटेलाल के जीवित रहते हुए हो गया था। मुसलिम विरासत व उत्तराधिकार कानून के तहत मुसलिम पुत्री की सन्तान का मुसलिम विधि में हक व हिस्सा नहीं होता है। हम स्व0 छोटेलाल के नवासा व नवासी है और मुसलिम विधि के अनुसार हमारा नाना की संपति पर कोई हक व अधिकार नहीं है। इंतकाल संख्या 572 ग्राम केसरपुर में हम रैस्पो0 संख्या 1 लगा0 3 के हक में 1/10 हिस्से का जो इंतकाल दर्ज व स्वीकार हुआ है वह गलत प्रकार से दर्ज किया गया है। उक्त आराजी में हमारा कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। हमारे नाम जो 1/10 हिस्सा दर्ज किया गया है वह निरस्त किया जावें। उक्त हिस्से को निरस्त कर मृतक छोटेलाल की विरासत का इंतकाल केवल अपीलांट के हक में दर्ज किया जावें। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर हम रैस्पो0 संख्या 1 लगा0 3 के हक में दर्ज इंतकाल को निरस्त कर उसे अपीलांट 1 लगा0 6 के हक में दर्ज व स्वीकार फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 06.07.2017 के विरूद्ध दिनांक 06.12.2017 को पेश की गई। जो करीब 5 माह के विलम्ब से पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट को अपीलीय आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर सहानुभूति रखते हुए प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट ने अपील में मुख्य तर्क यह उठाया है कि विवादित भूमि पर दर्ज व स्वीकार इंतकाल मुसलिम विरासत व उत्तराधिकार कानून के विरूद्ध किया गया है। जिसमें मुसलिम पुत्री की सन्तान का मुसलिम विधि में हक व हिस्सा नहीं होता है। उक्त इंतकाल से संबंधित माननीय अपर जिला न्यायाधीश नं0 1, अलवर द्वारा आदेश दिनांक 21.07.2018 में स्पष्ट आदेश फरमाया है कि किसी मुसलिम व्यक्ति की पुत्री की संतान को उक्त मुसलिम व्यक्ति के पुत्र के बराबर जायदाद में हक व हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। असल रैस्पो0 1 लगा0 3 द्वारा भी विवादित इंतकाल संख्या 572 वाके ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर में उनके हक में दर्ज 1/10 हिस्से के इंतकाल को निरस्त कर मृतक छोटेलाल की विरासत का

अति0 जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

इंतकाल अपीलांट्स के हक में दर्ज व मंजूर किये जाने का निवेदन किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 06.07.2017 इंतकाल संख्या 572 वाके ग्राम केसरपुर तहसील अलवर को निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है मृतक छोटेलाल की विरासत का इंतकाल नियमानुसार अपीलांट्स 1 लगा0 6 के हक में दर्ज व स्वीकार करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18–06–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)